बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

सं0–प्र02 / BSPGCL–03 / 2026– 08 / पटना, दिनांक– 02.07.2026

राज्य में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विश्वसनीय बेस–लोड विद्युत की उपलब्धता के उद्देश्य से बिहार में परमाणु विद्युत परियोजनाओं (Nuclear Power Projects) के विकास की संभावनाओं पर कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) एवं एनटीपीसी न्यूक्लियर द्वारा जिला बांका एवं जिला सिवान में संभावित स्थलों पर परियोजना विकास हेतु प्रारम्भिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। न्यूक्लियर पावर के विकास हेतु राज्य में अन्य प्रोजेक्ट आने की भी संभावना है।

2. परमाणु विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु भूमि उपलब्धता, जल उपलब्धता, पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियाँ, वैधानिक अनुमतियाँ तथा विभिन्न विभागों एवं जिला प्रशासन के मध्य समन्वय अपेक्षित है। अतः परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा, अनुश्रवण एवं आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नवत् उच्चस्तरीय समिति (High-Level Committee) का गठन निम्नवत किया जाता है:–

क्र0सं0	पदनाम	भूमिका
1.	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य, सचिव
5.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
8.	प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	सदस्य
9.	प्रमंडलीय आयुक्त, सारण	सदस्य
10.	प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर	सदस्य
11.	जिला पदाधिकारी, बांका	सदस्य
12.	जिला पदाधिकारी, सिवान	सदस्य

3. समिति आवश्यकता अनुसार न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL), एनटीपीसी न्यूक्लियर, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (BSPGCL) तथा अन्य संबंधित विभागों/एजेंसियों के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित सदस्य (Special Invitee) के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

4. समिति समय–समय पर बैठक कर परमाणु विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा करेगी तथा आवश्यक अनुशंसाएँ/निर्देश प्रदान करेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(अजय यादव),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02/BSPGCL–03/2026– 3649 /पटना, दिनांकः– 02.07.2026

प्रतिलिपिः–उप सचिव प्रेस (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक के मुद्रण हेतु (सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी प्रति के साथ) प्रेषित।

2. उनके अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के सचिव।